न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम् सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

जमानत आवेदन सं0–205/2026

दरौंदा थाना कांड सं0–458/2025 से उत्पन्न
अंतर्गत धारा–126(2), 307, 3(5) भारतीय न्याय संहिता
(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

मुनचुन सिंह.....आवेदक/अभियुक्त
बनाम
बिहार राज्य., द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थित– श्री मनीष कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

06.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त मुनचुन सिंह की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन, दरौंदा थाना कांड संख्या 458/2025, अंतर्गत धारा–126(2), 307, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया। कराधीन आवेदक/अभियुक्त दिनांक 07.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। कराधीन आवेदक/अभियुक्त मुनचुन सिंह के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक आशुतोष कुमार तिवारी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक से मुनचुन सिंह विगत कई महीनों से पांच लाख रूपये की रंगदारी की मांग कर रहे थे और बोलते थे कि नहीं दोगें तो गोली मार दूंगा। दिनांक 12.09.2025 को लगभग 07:00 बजे रात्रि को सूचक अपनी मारूती कार से श्रार्द्ध कर्म में जा रहा था तभी रानीबारी काली स्थान के नजदीक मुनचुन सिंह और दो अज्ञात व्यक्ति बाईक से आगे आकर घेर लिए और उसके गर्दन पर तमंचा सटा कर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन गोली चली नहीं। उसके बाद सूचक के गाड़ी से बासठ हजार तीन सौ रूपया एवं उसके गर्दन से चैन छीनकर मुनचुन सिंह और अज्ञात लोग भाग गये। तमंचा में तकनीकि खराबी के कारण गोली नहीं चली लेकिन मुनचुन सिंह गोली मारने का पूरा प्रयास किये।

कराधीन आवेदक/अभियुक्त मुनचुन सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि कराधीन आवेदक/अभियुक्त 22.01.2026 से कारा में है। कराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि कराधीन आवेदक/अभियुक्त को ग्रामीण राजनीति एवं जमीनी विवाद के कारण इस झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। कराधीन आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि का व्यक्ति है। कराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि कराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराओं में से धारा 109 बी.एन.एस. को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय है तथा धारा 109 बी.एन.एस. के अंतर्गत लगाया गया अभियोग कराधीन आवेदक/अभियुक्त मुनचुन सिंह के विरूद्ध नहीं बनता है क्योंकि कराधीन आवेदक/अभियुक्त के

<u>लगातार</u>
<u>06.03.2026</u>

विरूद्ध कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि अभियोजन कथानक झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन विरोध किया गया और कथन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सूचक से विगत कई महीनों से पांच लाख रूपये की रंगदारी मांगने, गोली चलाने व उसकी गाड़ी से बासठ हजार तीन सौ रूपया एवं चेन छीनने का गंभीर अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, दरौंदा थाना कांड संख्या 38/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 307, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत काराधीन आवेदक/अभियुक्त के द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक से रंगदारी में पांच लाख रूपया मांगने एवं नहीं देने पर गोली चलाने एवं रास्ते में घेरकर उसके गाड़ी से बासठ हजार रूपये तीन सौ रूपया संस्थित किया गया है। प्रस्तुत आपराधिक वाद के संदर्भ में काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप का गठन भी किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में एवं काराधीन आवेदक/अभियुक्त मुनचुन सिंह के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, सिवान के संतुष्टियोग्य मो. 20,000/–(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेंगे। बंधपत्र दाखिल किये जाने समय काराधीन आवेदक/अभियुक्त एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं प्रतिभूगण के द्वारा भी धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित घोषणा पत्र के तहत सभी सुसंगत विशिष्टियॉ दी जायेगी।

लेखापित

ह0/–

(सुशील कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सिवान।